

**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्य प्रदेश**

क्रमांक / विद्या / सूर्य नमस्कार / 2011-12 / 5

भोपाल दिनांक 4.1.2012

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म0प्र0
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक  
लोक शिक्षण, म0प्र0
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक  
मध्य प्रदेश ।

विषय:-दिनांक 12 जनवरी 2012 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस " युवा दिवस " पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन ।

- / / / -

उपर्युक्त विषय में म0प्र0 शासन के विभिन्न विभागों द्वारा उनके अधीनस्थ संस्थाओं हेतु निर्देश जारी किए गये हैं जो निम्नानुसार है :-

क्रं.	विभाग	आदेश क्रमांक दिनांक
1.	स्कूल शिक्षा विभाग	आदेश क्रमांक एफ./44-46/2011/20-2 भोपाल, दिनांक 3.11.11.
2	संचालनालय पशु पालन	आदेश क्रमांक 12772/स्था.ब./अ.नि./10-11/ भोपाल दिनांक 28.11.2011
2	राज्य शिक्षा केन्द्र	आदेश क्रमांक/मूल्यांकन/राशिके/2011/10912 भोपाल दिनांक 7.12.2011
3	चिकित्सा शिक्षा विभाग	आदेश क्रमांक/602/संचिशि/2011 भोपाल दिनांक 24.12.11
4	तकनीकी शिक्षा विभाग	आदेश क्रमांक/वनिस/2011/805 भोपाल दिनांक 24.12.11
5	आदिवासी विकास विभाग	आदेश क्रमांक/क्रीड़ा/96/2011/25280 भोपाल दिनांक 27.12.11
6	उच्च शिक्षा विभाग	आदेश क्रमांक/1088/465/अका.प्रको./आउशि/2011 भोपाल दिनांक 26.11.11
7.	संचालनालय लोक शिक्षण, म.प्र.	आदेश क्रमांक/कंप्यूटर/सा.सू.न./गि.व.रि./2011/03-04, भोपाल, दिनांक 04.01.2012

2/ सूर्य नमस्कार के पल-प्रतिपल कार्यक्रम की सी.डी. स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाईड [www.sednmp.nic.in](http://www.sednmp.nic.in) पर उपलब्ध है।

3/ उक्त सभी निर्देशों का स्वयं अध्ययन कर लें। संबंधित विभाग के जिला अधिकारियों को उपलब्ध करवा दें तथा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में जिला स्तर पर विषयांकित आयोजन के संबंध में बैठक करवा लें। इस संबंध में 03 जनवरी 2012 की विडियो कान्फ्रेंसिंग के अवसर पर आपको समुचित निर्देश दिए जा चुके हैं।

4/ उक्त बिन्दु 7 पर उल्लिखित आदेश के प्रकाश में गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स संबंधित कार्रवाई सुनिश्चित करें।


5/ सूर्य नमस्कार संबंधी पुस्तकें एव पोस्टर्स मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा संबंधित क्षेत्रीय डिपो को भिजवा दी गई हैं, सम्पर्क कर उन्हें प्राप्त करें तथा सभी विभागों की शिक्षण संस्थाओं में आवश्यकता अनुसार उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

6/ सूर्य नमस्कार से संबंधित सामग्री एज्युकेशन पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है। उसके आधार पर जिले में तथा शिक्षण संस्थाओं में हॉर्डिंग्स, बेनर्स लगवाना सुनिश्चित करें।

7/ इस आयोजन पर होने वाला व्यय संचालनालय द्वारा दिए गए वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां मद के वंटन से तथा शिक्षण संस्थाओं में उपलब्ध स्काउट, गाइड एवं रेडकास आदि में उपलब्ध राशि से नियमानुसार किया जा सकता है।

यह आयोजन का छठवां वर्ष है। विश्वास है कि प्रतिवर्ष की भांति आप पूर्ण निष्ठा के साथ सभी संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर इस आयोजन को दिए गए निर्देशों के क्रम में सफल बनायेंगे।


संलग्न - कुल पृष्ठ 16

  
(डॉ. अवध किशोर मिश्रा)  
संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल दिनांक 4.1.2012

पृष्ठांकमांक/विद्या/सूर्य नमस्कार/2011-12/6  
प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
  2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
  3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल, म0प्र0।
  4. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल, म0प्र0।
  5. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, भोपाल, म0प्र0।
  6. संचालक, पशुपालन विभाग, भोपाल म0प्र0।
  7. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म0प्र0।
  8. संचालक, तकनीकी शिक्षा विभाग, भोपाल म0प्र0।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
संचालक लोक शिक्षण,  
मध्यप्रदेश 4/1/12.

मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय  
वल्लभ भवन भोपाल

क्रमांक/एफ/44-46/2011/20-2  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3-11-2011

1. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
4. समस्त सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
5. समस्त प्राचार्य, डाइट, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश।

विषय:-12 जनवरी, 2012 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस "युवा दिवस" पर सामूहिक सूर्यनमस्कार का आयोजन।

—00—

संदर्भ :- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के निर्देश क्रमांक/एफ.5-16/2009/1/4 भोपाल, दिनांक 15.12.2009।

राज्य शासन द्वारा स्वामी विवेकानंदजी के जन्मदिवस 12 जनवरी को प्रतिवर्ष "युवा दिवस" के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। युवा दिवस के अवसर पर सभी विद्यालयों/महाविद्यालयों में सामूहिक सूर्यनमस्कार का आयोजन तथा स्वामी विवेकानंद पर केन्द्रित प्रेरणादायी शैक्षिक/सांस्कृतिक आयोजन किये जाए।

गतवर्ष की भाँति इस वर्ष भी 12 जनवरी 2012 को "युवा दिवस" के उपलक्ष्य में प्रदेश की समस्त शिक्षण संस्थाओं (विद्यालयों), महाविद्यालयों, पंचायतों आदि तथा आश्रम शालाओं आदि में प्रातः 9:00 से 10:30 तक सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाना है। इस आयोजन में स्वयं सेवी संगठनों तथा आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रयास किये जाकर इस आयोजन के प्रति जन सामान्य में चेतना जागृत कर उसके स्वरूप को विगत वर्षों की अपेक्षा अधिक व्यापक बनाये जाने के प्रयास किये जायें।

सामूहिक सूर्य नमस्कार 12 जनवरी, 2012 के आयोजन हेतु मुख्य निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1- दिनांक 12 जनवरी 2012 को प्रातः 9:00 बजे 10:30 तक सामूहिक सूर्य नमस्कार का पल-प्रतिपल कार्यक्रम :-

1	एकत्रीकरण तथा उद्घोषक द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम की भूमिका का प्रस्तुतीकरण	प्रातः 9:00 बजे
2	राष्ट्रगीत-वन्दे मातरम का सामूहिक गायन	प्रातः 9:25 बजे
3	सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम प्रारंभ	प्रातः 9:30 बजे
4	मान. मुख्यमंत्री जी का संदेश	प्रातः 10:00 बजे
5	आभार	प्रातः 10:30 बजे

2- सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन समस्त शिक्षण संस्थाओं में एक साथ एक संकेत पर किया जायेगा। जिन शिक्षण संस्थाओं में मैदान नहीं है, वे अपने विद्यार्थियों हेतु निकटतम संस्था/मैदान में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन करेंगे।

3- जिला स्तर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा :-

1. कलेक्टर (अध्यक्ष)	8. जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी
2. पुलिस अधीक्षक	9. जिला मुख्यालय के अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य,
3. मु. का. अ. जिला पंचायत	10. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

4. जिला शिक्षा अधिकारी	11. कलेक्टर द्वारा नामांकित 5 अशासकीय संगठनों के सदस्
5. सहा. आयुक्त आदि. विकास	12 परियोजना अधिकारी जिला शहरी विकास अधिकरण
6. जिला परि. समन्वयक	13 परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास
7 जनसंपर्क अधिकारी	14. जिला कलेक्टर द्वारा नामित अन्य विभागों के अधिकारी

आयोजन की पूर्व तैयारी हेतु समस्त जिला कलेक्टर द्वारा जिला स्तरीय बैठक आयोजित की जाकर सामूहिक सूर्य नमस्कार मे अशासकीय शिक्षण संस्थाओं तथा संबंधित विभागों, संगठनों, पालक शिक्षक संघ, विभिन्न योग संस्थाएं, विवेकानंद केन्द्र कन्या कुमारी, आर्य समाज, विद्या भारती शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण मिशन, गायत्री परिवार, आदिवासी विकास विभाग के छात्रावास, स्थानीय खेल क्लब, सेवानिवृत्त सैनिक, स्थानीय निकाय, मोहल्ला क्लब, मार्निंग वाकर्स, व्यायाम शाला, हेल्थ क्लब, पंचायत, सहकारी संस्थाएं, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कृत प्रतिभाएं, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, भोज विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा केन्द्र, नगर एवं ग्राम सुरक्षा समितियां आदि की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाये तथा जिला स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर समय-समय पर की गई कार्यवाही की समीक्षा की जाकर सामूहिक सूर्य नमस्कार मे अधिक से अधिक संख्या में छात्र-छात्राओ एवं अन्य जनसामान्य की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये।

4- माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, सांसदगण, महापौर, अध्यक्ष-जिला पंचायत, विधायकगण, अध्यक्ष-नगरपालिका एवं नगर पंचायत, अध्यक्ष-जनपद पंचायत, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण, पार्षदगण, आदि से शिक्षण संस्थाओं में आयोजित होने वाले सामूहिक सूर्य नमस्कार में उनकी उपस्थिति हेतु अनुरोध किया जाये।

5- संस्था प्रमुख द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उनकी संस्था में सामूहिक सूर्यनमस्कार के दौरान मान.मंत्री या अन्य जनप्रतिनिधि आयोजन में सम्मिलित होंगे।

6- प्रत्येक शिक्षण संस्था/छात्रावास स्तर पर निर्धारित समय पर सूर्य नमस्कार किया जाए। इस आयोजन में कक्षा 5 वीं से 12 वीं तक के तथा महाविद्यालयीन विद्यार्थी शामिल होंगे। प्राथमिक शाला में कक्षा 01 से कक्षा 04 तक के बच्चे सूर्य नमस्कार करने में शामिल नहीं होंगे, लेकिन वे दर्शकों के रूप में उपस्थित होंगे। संस्था स्तर पर होने वाला व्यय संस्था की स्कॉउट निधि, अन्य स्थानीय निधि एवं वैज्ञानिक सांस्कृतिक गतिविधि अंतर्गत शासकीय हाई एवं हायर सेकेण्डरी को लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी की गई राशि से किया जाये।

7- सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था रेडियों के सभी प्राइमरी चैनल एवं विविध भारती से होगी। कार्यक्रम के अंत में माननीय मुख्यमंत्रीजी का प्री-रिकार्ड कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा। अतः सामूहिक सूर्य नमस्कार के पूरे समय तक प्रदेश के सभी आयोजन स्थलों पर रेडियो चलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

8- उच्च शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास, वन, सहकारिता आदि विभागों द्वारा अधीनस्थ संस्थाओं एवं स्वैच्छिक संगठनों के लिए समुचित निर्देश संबंधित विभागों द्वारा पूर्व वर्षानुसार पृथक से प्रसारित किये जायेंगे, ताकि सभी शिक्षण संस्थाओं (विद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य शालाएं आदि) में आयोजन अनिवार्यतः हो, तथा इच्छुक व्यक्ति किसी भी शिक्षण सरथा में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकें।

9- उक्त आयोजन के सफल क्रियान्वयन हेतु समस्त आयुक्त-राजस्व संभाग, आई.जी., अतिरिक्त संचालक-उच्च शिक्षा, संभागीय संयुक्त संचालक-लोक शिक्षण, संभागीय उपायुक्त-आदिवासी विकास, संयुक्त संचालक-पंचायत, संयुक्त संचालक-स्वास्थ्य, उप संचालक-नगरीय प्रशासन, वन संरक्षक वन विभाग एवं अन्य सभी विभागों के संभागीय अधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी शिक्षण संस्थाओं में कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मानीटरिंग करेंगे।

10- रेडियों के सभी प्रायमरी चैनल तथा विविध भारती के द्वारा प्रसारित कार्यक्रम के आधार पर विद्यालयों में प्रतिभाह के अंतिम कार्य दिवस पर प्रातः 9:30 से 10:00 बजे तक सामूहिक सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसके अंतर्गत 31 दिसम्बर 2010 को रेडियों से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के आधार पर पूर्वाभ्यास किया जाए।

11- सूर्य नमस्कार में छात्राएं सलवार सूट/ट्रेक सूट तथा छात्र स्कूली गणवेश/ट्रेक सूट में सम्मिलित होंगे।

12- सामूहिक सूर्य नमस्कार पर मार्गदर्शी बुकलेट जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से पूर्व में सभी संस्थाओं को प्रदाय की जा चुकी है तथा कक्षा छठी की सहायक वाचन में भी सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम का उल्लेख है इनका समुचित उपयोग किया जाये।

13- सामूहिक सूर्य नमस्कार हेतु 1 से 12 स्थितियों/मुद्रायें निर्धारित है । सामूहिक सूर्य नमस्कार के दौरान क्रमांक 1 से 12 तक गिनती संचालन के साथ निम्नानुसार स्थितियों/मुद्राओं का प्रयोग किया जाये :-

एक- प्रार्थना मुद्रा	सात- भुजंगासन
दो- हस्त उत्तानासन	आठ- पर्वतासन
तीन- पादहस्तासन	नौ- अश्व संचालनासन
चार-अश्व संचालनासन	दस- पादहस्तासन
पाँच- पर्वतासन	ग्यारह-हस्त उत्तानासन
छः - अष्टांग नमस्कार	बारह- प्रार्थना मुद्रा

14- सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के सुचारु रूप से संचालित करने एवं व्यापक प्रचार प्रसार हेतु आवश्यक सामग्री, जिसमें जिगल्स, फ्लेक्स बेनर डिजाइन, प्रशिक्षण संबंधी सामग्री आदि की सी.डी. पूर्व में समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को प्रदाय की जा चुकी है। उसी के अनुरूप तिथि संशोधित कर उनका प्रयोग किया जाये ।

15- सामूहिक सूर्यनमस्कार के प्रचार प्रसार के दौरान इस बिन्दु को विशेष रूप से उभारा जाए कि सम्पूर्ण प्रदेश में एक समय एक संकेत पर एक साथ आयोजन किया जायेगा।

16- सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में किसी भी संस्था अथवा छात्र/छात्रा का भाग लेना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा और इस हेतु किसी प्रकार की बाध्यता न रखी जाए।

17- शारीरिक/मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों को चिकित्सकीय परामर्श के उपरान्त ही कार्यक्रम में भाग लेने का परामर्श दिया जाये।

18- आयोजन स्थल की साफ-सफाई, समतलीकरण, मंच निर्माण, माइक व्यवस्था, जल व्यवस्था, चूने से रेखांकन आदि कार्य आयोजन तिथि से पूर्व पूर्ण कर लिए जाएँ।

19- संस्था प्राचार्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके आयोजन में मुख्य अतिथि/विशिष्ट अतिथि अवश्य सम्मिलित हों।

20- आयोजन समाप्ति के तीन दिवस में फीडबैक प्राप्त किया जाये। इसकी क्रास चेकिंग भी की जाये।

21- शिक्षण संस्थाओं के कार्यक्रम में कुल कितने बच्चों/अभिभावकों आदि ने भाग लिया है, इसका निर्धारित प्रारूप में विभागवार संधारण किया जाये। कार्यक्रम के समापन के उपरान्त विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में सहभागी छात्र/छात्राओं तथा अन्य अतिथिगणों की जानकारी फोटोग्राफ के साथ संकलित की जाये।

22- प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने से होने वाले लाभों से छात्र/छात्राओं को सरल भाषा में समझाया जाये। शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों के प्रोग्रेस कार्ड में इस बात का उल्लेख किया जा सकता है कि सूर्य नमस्कार करने से क्या फायदे/परिवर्तन हुए हैं। इस तथ्य से पालकों को भी अवगत कराना चाहिए।

23- 12 जनवरी, 2012 को स्वामी विवेकानंदजी के जन्म दिवस " युवा दिवस" पर सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन में जिले में कितने छात्र-छात्रा एवं अन्य जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिकों एवं जनसामान्य द्वारा एक साथ सहभागिता की गई उनकी जिलेवार संख्यात्मक जानकारी आयोजन के एक सप्ताह पश्चात लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

मैं आशाचित्त हूँ कि योग एवं उसके माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत करने के उद्देश्य से आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में छात्र-छात्रा एवं अन्य जनप्रतिनिधि गणमान्य नागरिकों एवं जनसामान्य की सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी।

*M. S. Singh*  
3/11/2011  
(एम0के0 दाण्डे)  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 254/44-46/2011/20-2  
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 3-11-2011

1. मान. मुख्यमंत्री म0प्र0 शासन, एवं अध्यक्ष राज्य योग परिषद्, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. सदस्यगण मध्यप्रदेश राज्य योग परिषद् एवं माननीय मंत्री- वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा खेल एवं युवक कल्याण विभाग।

3. मान. उपाध्यक्ष राज्य योजना मण्डल भोपाल एवं सदस्य- मध्यप्रदेश राज्य योग परिषद्

4. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन एवं सदस्य- मध्यप्रदेश राज्य योग परिषद
5. सदस्यगण मध्यप्रदेश राज्य योग परिषद एवं प्रमुख सचिव/ सचिव-वित्त विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा खेल एवं युवक कल्याण विभाग की ओर अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित ।
6. सदस्यगण मध्यप्रदेश राज्य योग परिषद एवं आयुक्त- राज्य शिक्षा केन्द्र, आदिवासी विकास विभाग, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग तथा संचालक खेल एवं युवक कल्याण विभाग की ओर अधीनस्थों को दिशा निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित ।
7. चयनमेन, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान, तुलसी नगर भोपाल एवं सदस्य राज्य योग परिषद भोपाल ।
8. योग के क्षेत्र में नामांकित विशेषज्ञ एवं सदस्य, राज्य योग परिषद भोपाल
9. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
10. आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल ।
11. आयुक्त, जनसंपर्क, भोपाल ।
12. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल ।
13. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं अपने अधीनस्थों को दिशा-निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित ।

*Mand*  
3/11/2011  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन  
स्कूल शिक्षा विभाग

संचालनालय पशु पालन  
मध्य प्रदेश

क्रमांक 12 772 / स्था.ब. / अ0नि0 / 10-11 / भोपाल, दिनांक

28/11/..... 2011

// परिपत्र //

मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के ज्ञाप क्रमांक एफ 44-46/2011/20-2/दिनांक 3.11.2011 के संदर्भ में दिनांक 12 जनवरी 2012 को स्वामी विवेकानंदजी के जन्मदिन पर "युवा दिवस" पर सामुहिक सूर्य नमस्कार के संबंध में जारी परिपत्र निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संचालक, पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान रसलपुरा महुँ।
2. समस्त संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ समस्त संभाग समस्त म.प्र.
3. समस्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ समस्त जिला म.प्र.
4. उप संचालक राज्य पशु चिकित्सालय/एपीडिमियोलॉजी/रोग अनुसंधान प्रयोगशाला/पशु माता महामारी/कुक्कुट अनुसंधान भोपाल/जर्सी पालन प्रक्षेत्र भदभदा भोपाल।
5. रजिस्ट्रार गौसंवर्द्धन बोर्ड भोपाल।
6. समस्त शाखा संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएँ,

*(Handwritten Signature)*  
28/11/11

(डा. आर.के.मैहिया)  
संयुक्त संचालक, (स्था)  
पशु पालन विभाग  
मध्य प्रदेश

क्रमांक 12 773 / स्था.ब. / अ0नि0 / 10-11 / भोपाल, दिनांक  
प्रतिलिपि -


28/11/..... 2011

आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश शासन की टीप क्रमांक 197/11/दिनांक 16.11.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ अग्रेषित।

*(Handwritten Signature)*  
28/11/11

संयुक्त संचालक, (स्था)  
पशु पालन विभाग  
मध्य प्रदेश

6



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान  
सब पढ़ें सब बढ़ें

## राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल-462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

कमांक/मूल्यांकन/राशिके/2011/10912  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 7.12.11


जिला परियोजना समन्वयक  
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय:-12 जनवरी को 2012 को सूर्य नमस्कार ।

संदर्भ:-म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र क. F/44-46/201/20-2 भोपाल  
दिनांक 3.11.2011

उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में समस्त शिक्षण संस्थाओं में सूर्य नमस्कार का आयोजन निर्धारित तिथि एवं समय पर कराते हुए संदर्भित पत्र में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें ।


संलग्न- संदर्भित पत्र की प्रति

  
अपर मिशन संचालक  
राज्य शिक्षा केन्द्र  
भोपाल

पृ.कमांक/मूल्यांकन/राशिके/2011/10913  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 7.12.11

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल म.प्र.
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, भोपाल म.प्र.
3. संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण समस्त संभाग म.प्र.की ओर सूचनार्थ
4. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.
5. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, समस्त जिले म.प्र.
6. पोर्टल पर अपलोड करने हेतु
7. सर्व सम्बन्धितों को एस.एम.एस. करने हेतु

  
अपर मिशन संचालक  
राज्य शिक्षा केन्द्र  
भोपाल

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश

7

क्रमांक 602 / विविध / संचिशि / 2011

भोपाल, दिनांक 24/12/11

प्रति,


अधिष्ठाता,  
चिकित्सा महाविद्यालय  
भोपाल / इंदौर / जबलपुर / ग्वालियर / रीवा / सागर।

2. प्राचार्य,  
दंत चिकित्सा महाविद्यालय / नर्सिंग महाविद्यालय,  
इंदौर।

विषय :- 12 जनवरी, 2012 सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन।

दिनांक 12/1/2012 को प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थाओं में पूर्व वर्षानुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन एक साथ एक संकेत पर किया जाना है। इसमें स्वयं सेवी संगठनों का सहयोग भी लिया जाना है। इस संबंध में मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्रमांक एफ/44-46/2011/20-2 दिनांक 3/11/2011 द्वारा निर्देश जारी किये गए हैं जिसकी छायाप्रति संलग्न है। कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

  
संचालक चिकित्सा शिक्षा  
मध्यप्रदेश  
24/12/2011

8

: संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्य प्रदेश :

सतपुड़ा भवन, भोपाल-462 004

क्रमांक: वनिस/2011/ / भोपाल, दिनांक 24-12-2011  
प्रति,

प्राचार्य,  
समस्त तकनीकी शिक्षण संस्थाएँ,  
मध्यप्रदेश.

विषय:- 12 जनवरी, 2012 सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजनके संबंध  
में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस वर्ष 12 जनवरी, 2012 को प्रातः 9.30 बजे प्रदेश के शासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों आदि में एक समय, एक संकेत पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन होना है। तत्संबंध में मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा क्रमांक एफ/44-46/ 2011/ 20-2, दिनांक 3.11.2011 को निर्देश जारी किये गये हैं।

अतः दिनांक 12 जनवरी, 2012 को आयोजित सामूहिक सूर्य नमस्कार के आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

(अरूण नाहर)

संचालक, तकनीकी शिक्षा,  
मध्य प्रदेश

पृ0क्रमांक: वनिस/2011/ 805 /

भोपाल, दिनांक 24-12-2011

प्रतिलिपि:-

1. श्री अशोक बर्णवाल, आयुक्त, लोक शिक्षण, भोपाल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
2. श्री प्रकाश विजयवर्गीय, प्रोग्रामर, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, म.प्र. को इस निर्देश के साथ कि यह पत्र कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करें।

(अरूण नाहर)

संचालक, तकनीकी शिक्षा,  
मध्य प्रदेश

कार्यालय आयुक्त आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश

9

क/कीडा/96/2011/  
प्रति,

25280

भोपाल दिनांक 27/12/11


समस्त सहायक आयुक्त,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश ।

समस्त जिला संयोजक,  
आदिम जाति कल्याण,  
मध्यप्रदेश

विषय :- 12 जनवरी 2012 को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर सामूहिक सूर्यनमस्कार का आयोजन ।

संदर्भ:- कार्यालयीन पृ.क.कीडा/96/2011/23275 भोपाल दिनांक 24.11.2011

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । पत्र में उल्लेखित राज्य शासन द्वारा स्वामी विवेकानंदजी के जन्म दिवस 12 जनवरी 2012 को प्रतिवर्ष युवा दिवस के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है । युवा दिवस के अवसर पर जिला स्तर पर प्राथमिक/ माध्यम/ हाईस्कूल/हायर सेकेन्डी विद्यालयों/ महाविद्यालयों में सामूहिक सूर्यनमस्कार का आयोजन किये जाने हेतु मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक/एफ/44-46/2011/20-2 भोपाल दिनांक 3.11.2011 द्वारा जारी किया गया है । उक्त परिपत्र में उल्लेखित निर्देशों का कडाई से पालन कर प्रतिवेदन इस कार्यालय को उपलब्ध करावें ।


  
अपर संचालक,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश

पृ.क.कीडा/96/2011/ 25281

भोपाल दिनांक 27/12/11

प्रतिलिपि:-

1. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनु.जाति विकास, मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
अपर संचालक,  
आदिवासी विकास,  
मध्यप्रदेश

115

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल-42004

क्रमांक / 1088/465/अका.प्रको./आउशि/2011,

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2011

प्रति,

प्राचार्य,

समस्त शासकीय महाविद्यालय,

मध्यप्रदेश।

विषय:- दिनांक 12 जनवरी 2012 को स्वामी विवेकानन्द जी के जन्म दिवस "युवा दिवस" पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन।

संदर्भ:-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के निर्देश क्र. एफ.5-16/2009/1/4, भोपाल दिनांक 15.12.2009

--

राज्य शासन द्वारा दिनांक 12 जनवरी 2012 को स्वामी विवेकानन्द जी के जन्म दिवस को "युवा दिवस" के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. उक्त दिवस के अवसर पर गत वर्ष की भांति आपके अधीनस्थ महाविद्यालय में सामूहिक सूर्य नमस्कार तथा स्वामी विवेकानन्द पर केन्द्रित प्रेरणादायी शैक्षिक/सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन प्रातः 9.00 से 10.30 बजे तक आयोजित किया जाना है। इस आयोजन में विद्यार्थियों, स्वयंसेवी संगठनों तथा आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रयास किये जाकर जन सामान्य में चेतना जागृत कर उसके स्वरूप को अधिकाधिक व्यापक बनाये जाने के प्रयास किये जायें।


आयोजन हेतु मुख्य निर्देश निम्नानुसार हैं :-

1	एकत्रीकरण तथा उद्घोषक द्वारा संपूर्ण कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण	प्रातः 9.00 बजे
2	राष्ट्रगीत-वन्दे मातरम का सामूहिक गान	प्रातः 9.25 बजे
3	सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम	प्रातः 9.30 बजे
4	माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश	प्रातः 10.00 बजे
5	आभार	प्रातः 10.30 बजे

2. सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन समस्त महाविद्यालयों में एक साथ एक संकेत पर किया जायेगा। जिन महाविद्यालयों में मैदान नहीं है, वे अपने विद्यार्थियों हेतु निकटतम संस्था/मैदान में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन करेंगे। संस्था प्रमुख द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि कार्यक्रम में माननीय मंत्रीजी, सांसद, विधायक, महापौर, आदि जन प्रतिनिधियों एवं विशिष्टजनों की उपस्थिति हेतु अनुरोध किया जाये।

3. सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था वूरदर्शन, रेडियों के सभी प्रायमरी चैनल एवं विविध भारती से होगी। अंत में माननीय मुख्यमंत्रीजी का प्री-रिकार्डेड कार्यक्रम प्रसारित किया जायेगा।
4. सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पर मार्गदर्शी बुकलेट क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों के माध्यम से पूर्व में सभी महाविद्यालयों को प्रदाय की जायेगी।
5. सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के सुचारु रूप से संचालन हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये।
6. सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में किसी भी संस्था अथवा छात्र/छात्रा का भाग लेना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा और इस हेतु किसी प्रकार की बाध्यता न रखी जाये।
7. सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजन में महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं, जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकों एवं जनसामान्य द्वारा एक साथ सहभागिता की संख्यात्मक जानकारी आयोजन के एक सप्ताह पश्चात विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. उक्त आयोजन हेतु प्राचार्य अग्रणी महाविद्यालय संबंधित जिले के कलेक्टर के सम्पर्क में रहें तथा जिले के महाविद्यालयों के साथ समन्वय करेंगे।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

  
(डॉ. के. एम. जैन)

संयुक्त संचालक


उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

क्रमांक/1089/465/अका.प्रको./आउशि/2011,

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2011

प्रतिलिपि:-

समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश की ओर उपर्युक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु प्रेषित।

  
(डॉ. के. एम. जैन)

संयुक्त संचालक

उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

## लोक शिक्षण संचालनालय

### मध्यप्रदेश

क्रमांक / कंप्यूटर/सा.सू.न./गि.व.रि./2011/ 03

भोपाल, दिनांक 04/01/12

प्रति,

समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक

लोक शिक्षण, म0प्र0

समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी

समस्त, जिला परियोजना समन्वयक

मध्यप्रदेश


विषय:- सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम को गिनीज बुक्स आफ वर्ल्ड रिकार्ड में शामिल करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश।

संदर्भ:- क्रमांक/कंप्यूटर/सा.सू.न./गि.व.रि./2011/ 314 दिनांक 09/12/2011!

स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिवस ' युवा दिवस ' पर प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 जनवरी, 2012 को सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में संदर्भित पत्र के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में जानकारी प्रदान की गई थी। गिनीज बुक्स आफ वर्ल्ड रिकार्ड की वेबसाइट पर सामूहिक योग के कार्यक्रम को **Claim ID 366236** के अंतर्गत पंजीकृत कर दिया गया है।

गिनीज बुक्स आफ वर्ल्ड रिकार्ड से प्राप्त नवीन दिशा निर्देश दिनांक 30/12/11 के अनुसार इसे अब योग क्लास (Largest Yoga Class- Multi Venue ) के अंतर्गत रजिस्टर कर मानिट्रिंग की जा रही है। इस संबंध में गिनीज बुक्स आफ वर्ल्ड रिकार्ड से प्राप्त पुनरीक्षित दिशा निर्देश संलग्न है। योग क्लास का रिकार्ड वर्तमान में ग्वालियर जिले में एक स्थान पर 29,973 लोगों के भाग लेने का है। अतः यह आवश्यक है कि प्रदेश के सामूहिक सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहभागियों की संख्या ग्वालियर की 29,973 संख्या से अधिक हो। अतः गिनीज बुक्स आफ वर्ल्ड रिकार्ड से प्राप्त विस्तृत दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जाना होगा, केवल उसी स्थिति में सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को गिनीज बुक्स आफ वर्ल्ड में शामिल किया जा सकता है। इसलिये यह आवश्यक है कि कार्यक्रम में भाग लेने हेतु अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को स्वेच्छा से प्रेरित करें। इस संबंध में गिनीज बुक्स आफ वर्ल्ड रिकार्ड से प्राप्त नियम शर्तें, दिशा निर्देश संलग्न फाईल एवं परिशिष्ट 'एक' में संलग्न है। इन निर्देशों का सावधानी पूर्वक अध्ययन कर इसका पालन सुनिश्चित करें। इस कार्यक्रम के लिये जिला

शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किसी एक सक्रिय एवं उत्साही प्राचार्य उ.मा.विद्यालय को नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित कर उक्त कार्य की जिम्मेदारी सौंपें एवं संलग्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। इस संबंध में 3 जनवरी, 2012 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी आपको विस्तृत निर्देश दिये जा चुके हैं।


  
(डॉ. अवध किशोर मिश्रा)

संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 04/01/12

पृष्ठा.क्रमांक / कंप्यूटर/सा.सू.न./गि.व.रि./2011/04

प्रतिलिपि:

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी स्कूल शिक्षा / राज्य मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
4. समस्त प्राचार्य हाई स्कूल / हायर सेकण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संलग्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

  
संचालक

लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

**(Largest Yoga Class – Multi Venue)** अनेक स्थानों पर योग क्लास संबंधी क्लेम को दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को गिनीज बुक्स आफ वर्ल्ड रिकार्ड की वेबसाइट पर सामूहिक सूर्य नमस्कार के रिकार्ड हेतु क्लेम (Claim) का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है जिसके संबंध में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड से दिनांक 30 दिसम्बर 2011 को संशोधित दिशा निर्देश संबंधी ईमेल प्राप्त हुआ है। सूर्य नमस्कार संबंधी क्लेम आई.डी. 366236 एवं मेंबरशिप आई.डी. 321599 पर गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड की पर रजिस्टर हो गया है। ।

गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड से रिकार्ड प्राप्त करने संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। दिशा निर्देश संबंधी प्राप्त डाक्यूमेंट में 1. Specific Guidelines Pack for Largest Yoga Class 2. Evidence Required 3. The presence of a Guinness World Records डाक्यूमेंट है। जिसके अनुसार रिकार्ड संबंधी क्लेम प्रस्तुत करने में निम्नानुसार पालन करना होगा:

### **Specific Guidelines for 'LARGEST YOGA CLASS'**

1. योग क्लास की संरचना एक सामान्य क्लास (कक्षा) की संरचना जैसी ही होनी चाहिये।
2. पूरे शिक्षण (Lesson) के दौरान इंस्ट्रक्टर एवं विद्यार्थियों की स्थिति एक जैसी होनी चाहिये। यदि कोई विद्यार्थी कार्यक्रम के दौरान बाहर चला जाता है तो उसकी गणना नहीं की जानी चाहिये।
3. आयोजक केवल एक इंस्ट्रक्टर या इंस्ट्रक्टर की टीम का चुनाव कर सकते हैं जो एक ही स्थान पर विभिन्न समूहों को मार्ग दर्शन का कार्य कर सकते हैं। इंस्ट्रक्टर वितनेस का कार्य नहीं कर सकेंगे लेकिन इनकी गणना अंतिम योग (Total) में की जा सकती है। इस संबंध में इंस्ट्रक्टर को उपयुक्त रूप से योग्यता प्राप्त होना चाहिये।
4. सभी सहभागियों को एक साथ एक ही विषय (Topic) पर प्रशिक्षण/सिखाया जाना चाहिये, इस प्रकार प्रशिक्षक (इंस्ट्रक्टरस) की गतिविधियों (सूर्य नमस्कार करते) को देख सकना चाहिये या विडियो स्क्रीन पर प्रशिक्षक के गतिविधियों (Movements) देख कर उसका अनुसरण कर सकना चाहिये।
5. पूरे शिक्षण (Lesson) का समय कम से कम 30 मिनट का होना चाहिये। सभी सहभागियों को समझ में आने योग्य एक उच्च स्वर का प्रारंभ और अंत का ध्वनि संकेत दिया जाना चाहिये। कार्यक्रम के समय की गणना दो अनुभवी टाइमकीपर स्टाप वाच से करेंगे जो 0.01 सेकण्ड तक शुद्ध (Accurate) हों।

### **General 'Mass Participation – Multiple Venue' Guidelines**

- स्थान एवं दिनांक के साथ भाग लेने वाली संस्था का नाम दर्शाया जाना चाहिये।
- रिकार्ड का स्थान एक प्रतिबंधित क्षेत्र हो जिसमें प्रवेश एवं निर्गम की स्पष्ट मार्किंग के साथ पूर्ण नियंत्रण हो। स्थान यदि बिल्डिंग के अंदर हो तो इसे पूरी तरह से कार्यक्रम के योग्य बनाया जाना चाहिये और बाहर का रिकार्ड एरिया/ स्थान बाउंड्री से बंद होना चाहिये।
- सभी सहभागी प्रारंभ से लेकर अंत तक अपनी पूरी दक्षता के साथ कार्यक्रम में भाग ले। यदि स्वतंत्र गवाहों को ऐसा लगता है कि सभी सहभागी पूरी दक्षता से भाग नहीं ले रहे हैं, तो प्रयास बंद कर इस हेतु पुनः प्रयास किया जाना चाहिये।
- सहभागियों के सहयोग हेतु सुपरवाइजर को नियुक्त किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी सहभागी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। 50 सहभागियों पर एक सुपरवाइजर रखा जा सकता है।
- सुपरवाइजर की काउंटिंग सहभागियों की कुल संख्या में शामिल नहीं की जानी चाहिये।
- संपूर्ण कार्यक्रम एक सार्वजनिक क्षेत्र में आयोजित किया जाना चाहिये जिससे जनता इसका निरीक्षण कर सके।
- सहभागियों की उपस्थिति की संख्या गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा पारित विधि से काउंट की जाए।
- प्रतिभागियों की वास्तविक गणना हेतु उन सहभागियों की संख्या भी काउंट की जाना चाहिये जो कार्यक्रम के संपन्न होने से पूर्व ही स्थान छोड़ देते हैं और उनकी संख्या को कुल संख्या में से घटा देना चाहिये।
- एक स्थान पर कम से कम 25 सहभागियों की संख्या अनिवार्य होना चाहिये।
- आयोजन स्थल की संख्या कम से कम 10 होना चाहिये।
- डाक्यूमेंटेशन के साथ आयोजन स्थल की संख्या एवं उनकी स्थिति को दर्शाया जाना चाहिये।
- कार्यक्रम सभी स्थानों पर एक साथ एक ही समय के अनुसार किया जाना चाहिये। प्रत्येक आयोजन स्थल के स्थानीय समय को डाक्यूमेंटेशन के साथ दर्शाया जाना चाहिये।
- प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक ही फॉर्मट का अनुसरण किया जाना चाहिये।
- कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात, सभी स्थानों से गवाहों के स्टेटमेंट सामान्य दिशा निर्देश अनुसार मुख्य आयोजक को भेजी जानी चाहिये, जो सभी जानकारियों का मिलान कर संपूर्ण क्लेम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड को भेजेगा।

### **Acceptable Counting Methods**

- Turnstiles
- Clickers
- Barcode ticketing system
- Grid-like distribution of participants
- **Ticket stubs (torn ticket issued as receipt)**

- उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यक्रम के प्रारंभ से अंत तक की विडियो सीडी / डीव्हीडी शूटिंग की जाना चाहिये।
- सभी कार्यक्रम के रंगीन फोटोग्राफ जो 300 dpi, 15cm x 15cm के हो, लिये जाना चाहिये जिससे सहभागियों की संख्या के संबंध में पर्याप्त प्रमाण मिल सके।
- स्थानीय समाचार पत्रों की क्लिपिंग / कटिंग इत्यादि एकत्रित किया जाना चाहिये ताकि क्लेम हेतु इन्हें प्रस्तुत किया जा सके।

### **Evidence Required**

- 1 कवर लेटर
- 2 कम से कम दो निष्पक्ष / स्वतंत्र गवाहों या एक सिविल ला के अनुसार नोटरी के बयान/ कथन जो कार्यक्रम के संबंध में प्रमाण दे सकें एवं इसकी पुष्टि कर सकें।
- 3 कार्यक्रम के विडियो सीडी / डीव्हीडी फुटेज ।
- 4 उच्च स्तर के कलर फोटोग्राफ।
- 5 कार्यक्रम के संबंध में गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड द्वारा मांगे गये विशेष साक्ष्य / गवाह इत्यादि ।
- 6 **ARRA Schedule Two signed – Record Claimant's Evidence Submission Release.**
- 7 **ARRA Schedule Three signed- Supporting Material Release.**

उपरोक्त के संबंध में गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड से प्राप्त विस्तृत गाइड लाइंस संलग्न है। उपरोक्त सभी प्रमाणों को ईमेल के साथ प्राप्त फार्म में भर कर गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड के कार्यालय में भेजा जाना होगा ताकि कार्यक्रम को गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड में रजिस्टर किया जा सके।

उपरोक्त के अतिरिक्त विस्तृत जानकारी हेतु गिनीज बुक्स आफ वर्ल्ड रिकार्ड से प्राप्त दिशा निर्देश की फाईल संलग्न है।